न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 34/2011 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— रामस्वरूप पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री रामरतन गोदारा — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 05.02.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 03.06.2011 जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 47/85 एसडीएम नोहर, ओ.एस. नं. 38/94 डीएम हनुमानगढ निलम्बित किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 47/85 एसडीएम नोहर, ओ.एस. नं. 38/94 डीएम हनुमानगढ बना है, जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 12680 दर्ज है तथा दिनांक 31.12.2009 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष अपीलांट ने दिनांक 17.12.2009 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.10.2010 में अपीलांट के विरूद्ध तीन मुकदमें, मुकदमा सं. 310/2000 अन्तर्गत धारा 336, 323, 325, 504, 147, 148, 149, 447 भादंसं में चालान होकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.8.05 द्वारा 6 माह के लिऐ नेकचलनी हेतु पाबंद एवं 7000/—रू. के दण्ड से दण्डित किया गया, मु.नं. 366/04 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी में दर्ज होकर विचाराधीन एवं मु.नं. 45/10 अन्तर्गत धारा 307, 458, 323एससीएसटी एक्ट में चुनावों के दौरान दर्ज हुआ था और दिनांक 28.4.2010 को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

एफआर अदम वक्कू झूठ दिनांक 28.7.04 को लग चुकी होना अंकित करते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होने की टिप्पणी की है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2011 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 47/85 एसडीएम नोहर, ओ.एस. नं. 38/94 डीएम हनुमानगढ निलम्बित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.10.10 में अपीलांट के विरूद्ध दर्ज हुए मुकदमा सं. 310/2000 में माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को 6 माह के लिये नेकचलनी के लिए पाबंद किया गया व 7000/–रू. के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। मु.नं. 366/04 में अपीलांट पर कोई चार्ज नहीं लगा है तथा मुकदमा नं0 45/10 चुनाव के दौरान दर्ज हुआ एवं दिनांक दि028.7.04 को एफ.आर लग चुकी है । उक्त मुकदमों में से मु.नं. 45/10 को माननीय न्यायालय ने झूठा करार देते हुए एफआर मंजूर की है, मु.नं. 310/10 में भी फैसला हो चुका है और मु.नं. 366/04 में माननीय न्यायालय द्वारा अभी आरोप नहीं लगाये गये हैं तथा भिन्न प्रकृति का है। उक्त मुकदमों को आधार बना कर अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बित करना विधि विरूद्ध है। उक्त मुकदमों के बावजूद भी अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का पूर्व में कई बार नवीनीकरण किया गया है लेकिन इस बार जानबूझ कर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट एक सीधा–साधा कृषक पेशा व्यक्ति है। उसे अपने खेत व ढाणी की सुरक्षा के लिये शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना अति आवश्यक है। अपीलांट का कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं है और ना ही अपीलांट का अपराधिक संगठन से कोई मेलजोल है। अपीलांट के पास पिछले 25–26 सालों से शस्त्र अनुज्ञा पत्र है तथा अपीलांट द्वारा कभी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 19.10.2010 में अपीलांट के विरूद्ध दर्ज हुए

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मुकदमा सं. 310/2000 में माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को 6 माह के लिये नेकचलनी के लिए पाबंद किया गया व 7000/–रू. के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। मु.नं. 366/04 में अपीलांट पर कोई चार्ज नहीं लगा है और एफआर मंजूर हुई है। मु.नं. 45/10 माननीय न्यायालय में अभी जेरकार होना बताया है। गृह विभाग के परिपत्रों एवं शस्त्र अधिनियम 1959 में दिये प्रावधानों के मध्यनजर आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से लोक शांति व कानून व्यवस्था को खतरा रहता है। अतः व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया।

7. प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 19.10.10 में आवेदक का शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होना बताया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में भी अपीलांट के विरूद्ध तीन आपराधिक मुकदमों के दर्ज होने एवं मुकदमा सं. 310/2000 में अपीलांट को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 6 माह के लिये नेकचलनी हेतु पाबंद एवं 7000/–रू. के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाना माना है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट यह साबित करने में नाकामयाब रहे हैं कि अपीलांट आपराधिक पृष्ठ भूमि का नहीं है और पेंडिंग मुकदमा नं0 366/2004 में अपीलांट के निर्दोष होने के संबंध में हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य या सबूत आदि भी प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिन पर विचार किया जा सके। हम विद्वान सहायक लोक अभियोजक के कथन से सहमत हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से लोक शांति व कानून व्यवस्था को खतरा रहता है। ऐसे में व्यापक लोक शांति सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.11 पारित कर शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3)बी के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.11 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 05.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर